


राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN: 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>
ई-मेल : rmsc@nic.in
क्रमांक : एफ. ९()/आरएमएससी/भण्डार/AC/2018-19 / १९९
दिनांक : ०३/४/२०१८

सीमित निविदा प्रस्ताव


राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., रवार्ष्य भवन, तिलक मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर मुख्यालय में स्थापित AC की वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC)
हेतु मय पार्ट्स प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अतः इच्छुक फर्में अपना प्रस्ताव (AMC
की दर) दिनांक 01.05.2018 को सायं 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र 'अ' में प्रस्तुत करें।
निविदा प्रपत्र निगम की website : [http://rmsc.health.rajasthan.gov.in &
http://sppp.rajasthan.gov.in](http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक फर्में कार्यालय समय 09.00 AM to 06.00 PM के दौरान AC का परीक्षण
कर सकती हैं।


कार्यकारी निदशक (गु.नि.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेय है कि निगम की वेबसाइट
<http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in> पर Upload
करवाना सुनिश्चित कराएँ।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


कार्यकारी निदशक (गु.नि.)

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
 फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065
 CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>
 क्रमांक : एफ. १() /आरएससी /भण्डार /AC/2018-19/
 दिनांक :

वित्तीय निविदा

प्रपत्र 'आ'

AMC की दर मय पार्ट्स

क्र.सं.	Types of Air Conditioner	Air Conditioner की संख्या	बैसिक दर प्रति AC राशि ₹ (मय पार्ट्स)	GST (SGST /CGST) % राशि ₹ (यदि लागू हो तो)	कुल दर (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Window AC 1.5 Ton	8			
2	Window AC 2 Ton	2			
3	Split AC 1.5 Ton	20			
4	Split AC 2 Ton	17			
5	Copper Pipe Charges @ per feet	-			
	Total	47			

नोट:- निविदा के साथ निम्न दरतावेज अवश्य संलग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

- जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू होते)।
- पेन नम्बर।
- बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
- फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

AC Tender 13.04.2018

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M123 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> ई-मेल : rmsc@nic.in

AC की वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु सीमित निविदा

1. सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाइल व ई-मेल सहित
2. कार्यालय का पता, दूरध्वाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर
3. सीमित निविदा सूचना संदर्भ एफ.9 () /आरएमएससी /भण्डार/AC/2018-19/ दिनांक
4. अपठनीय दस्तावेज की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी दस्तावेज पठनीय होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से बाद में दस्तावेज सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होगा इस लिए वांछित सभी दस्तावेज भी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
5. निविदाकार पंजीकृत व्यवसायी हो।
6. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा RTPPA, 2012 व RTPPR, 2013 में दी गई उक्त सीमित निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठ /पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।


निविदादाता के हस्ताक्षर मर्य मोहर

AC Tender 13.04.2018

AC की वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु

सीमित निविदा की शर्तें एवं कार्य

1. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 की शर्तें व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की शर्तें इस निविदा का भाग मानी जाएगी।
2. मूल निविदा प्रपत्र के साथ सलान प्रपत्र 'आ' में प्रदर्शित कार्य हेतु निविदादाता अपनी दर्द दर्शाएँ। नियम के प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मात्र नहीं होंगी।
3. निविदा मुहरबंद लिफाके में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
4. निविदादाता को माह में कम से कम एक बार सभी AC का निरीक्षण कर, AC की कार्य क्षमता की रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करनी होगी तथा नियम द्वारा सूचना दिए जाने पर, AC को तुरन्त प्रभाव से ठीक किया जाना आवश्यक है तथा जो भी पार्ट्स बदले जाएँ वो उसी कम्पनी के होना आवश्यक है जिस कम्पनी के ACs हैं।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (जो कि वर्तमान में लागू GST प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किए गए हों) (यदि लागू हो तो) का भुगतान नियम द्वारा कार्य संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। नियम द्वारा फर्म को भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ सलान कर प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सूचना पर किए गए कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, एवं नियम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा अलग से हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छॉट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को होगा।
10. निधारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार 03 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में परिसमाप्त नुकसानी (ID) राशि ₹ 500/- प्रतिदिवस वसूल की जाएगी।
11. कायदिश के अनुसार कार्य एक दिवस में करना होगा। AC खराब होने की सूचना निविदा में दिए गए मोबाइल/लैपटॉप फोन अथवा ई-मेल द्वारा दी जाएगी। फर्म द्वारा AC को 24 घण्टे में ठीक नहीं किये जाने पर, फर्म की Risk & Cost पर नियम द्वारा AC को अपने स्तर पर ठीक कराया जाएगा जिसके लिये कार्य की राशि फर्म को देय भुगतान से वसूल की जाएगी।


ACTender 13.04.2018

12. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् –

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उल्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में ब्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी एक तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय ब्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होंगी।

14. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सुखना का ऐसा इव्युपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शीता, निष्क्रियता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए दृमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमांग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

15. हित का विरोध –

- (१) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी विधिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदानत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित समिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :—
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हसरक्षण करते हों या हसरक्षण करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विद्वितान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धिताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अंगित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना समिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्तिजिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें समिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां समिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ज) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (क) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यवितयों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कम्सोटी और बोली प्रकारों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:-

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाधिकारी किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तरीख से दस दिनकी अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व—अहंता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रफत्र—स) में अपील दाखिल कर सकेगा। परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप—धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप—धारा के अधीन पदाधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व—अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्दुसार आदेश पारित करेगा जो उप—धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप—धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप—धारा (1) के अधीन पदाधिकारी उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप—धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप—धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप—धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तरीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस

निमित पदाधिकारी किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपर्यां हैं और पूर्व-अहृता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथार्थतः, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकर्ते पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अहृता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथार्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रैति से दाखिल होंगी और उसके साथ ऐसी फीस होंगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्लास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

17. अपील का प्रलूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रलूप में उत्तीर्ण प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में काथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के सबूत के साथ होंगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथार्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यवितरण: या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

18. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होंगी जो अप्रतिदेय होगी।

- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय झापट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
19. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –

- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
 (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निश्चल्क उपलब्ध करायेगा।
 (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
20. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
21. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार लागू होंगी।
 22. आपसी सहमति से दर संविदा समयावधि 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
 23. किसी भी उपर्युक्त विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।


 कार्यकारी-निदेशक (गुनि.)
 आरएमएज्ञेसी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा
 मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।


 निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर